न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी– रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस

अपील संख्याः 83/22 निर्णय दिनांकः– 24-1-23
(जीसीएमएस संख्या 2022/373)

1. कुम्भाराम पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवंशी निवासी लालासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. लाभूराम पुत्र पूर्णाराम तथाकथित दत्तक पुत्र मु. सोनी जाति मेघवंशी निवासी लालासर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 18–10–2022
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः–

1. श्री सत्यनारायण तिवाड़ी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री आनन्द बजाज, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, नोखा के आदेश दिनांक 18–10–2022 जिसके द्वारा अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके तहसील नोखा के ग्राम लालासर के खेत खसरा नम्बर 206/142 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 219/144 रकबा 65 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 266/131 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 333/76 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 171 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्व. शिवलाल पुत्र खुमाराम के दर्ज खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही एवं इसी प्रकार ग्राम लालासर के खेत खसरा नम्बर 108 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 208/142 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 368/125 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा कुल 76 बीघा 19 बिस्वा भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 315 तादादी 3.27 हेक्टर, खसरा नम्बर 366 तादादी 4.2100 हेक्टर, खसरा नम्बर 369 तादादी 9.600 हेक्टर, खसरा नम्बर 370 तादादी 1.0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 380 तादादी 0.1000 हेक्टर, खसरा नम्बर 381 तादादी 7.1800 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 तादादी 0.4100 हेक्टर, खसरा नम्बर 393 तादादी 0.1100 हेक्टर, खसरा नम्बर 394 तादादी 0.3500 हेक्टर, खसरा नम्बर 395 तादादी 13.4500 हेक्टर, खसरा नम्बर 396 तादादी 1.3000 हेक्टर, खसरा नम्बर 397 तादादी 0.1800 हेक्टर, खसरा नम्बर 418 तादादी 1.9500 हेक्टर, खसरा नम्बर 419 तादादी 6.5100 हेक्टर, खसरा नम्बर 499 तादादी 0.2600 हेक्टर, खसरा नम्बर 704 तादादी 0.1000 हेक्टर, खसरा नम्बरा 705 तादादी 11.1200 हेक्टर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.7000 हेक्टर, खसरा नम्बर 710 तादादी 0.0200 हेक्टर, खसरा नम्बर 863/400 तादादी 1.0000 हेक्टर कुल खसरा नम्बर 20 तादादी 62.8700 हेक्टर भूमि स्व. धर्माराम पुत्र खुमाराम के नाम दर्ज रिकार्ड व कब्जे काश्त की भूमि रही है। शिवलाल पुत्र खुमाराम के स्वर्गवास के उपरान्त आराजी जैर अपील उसकी पत्नी सुगनी के नाम तथा धर्माराम के स्वर्गवास के उपरान्त उसकी पत्नी सोनी के नाम दर्ज हुई व सुगना के स्वर्गवास के उपरान्त वादग्रस्त भूमि केवल सोनी के नाम दर्ज हुई जबकि उक्त भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। इसी प्रकार सोनी के स्वर्गवास के उपरान्त भी वादग्रस्त भूमि अपीलांट् व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा हिन्दु दत्तक ग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर एक खोलानाम तैयार करवाते हुए आराजी जैर को अपने अकेले के नाम दर्ज करवा लिया गया। जबकि वादग्रस्त भूमि पर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2—1/2 हक व हिस्सा निहित है।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अपीलांट् द्वारा काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसे अदालत मातहत द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि का 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया था। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। न्यायालय हाजा के आदेशों के अनुसरण में अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य वादपत्र वर्तमान में विचाराधीन चल रहा है, जिसमें पक्षकारों के अधिकारों की धोषणा होनी शेष है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके पुत्रों द्वारा अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने के अमादा होने पर अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पूर्व में राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 23—01—2003 को खारिज कर दी गई है तथा इसी के साथ अंकित किया गया कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। अतः धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण के मद्देनजर विधि विरूद्व की गई व्याख्या है, क्योंकि अदालत मातहत के समक्ष यह स्पष्ट था कि सुगनी बेवा शिवलाल के स्वर्गवास के उपरान्त आराजी जैर सोनी बेवा धर्माराम के नाम हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर दर्ज की गई है। प्रकरण में जब तक इस तथ्य का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक आराजी जैर को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में यह आवश्यक था कि वादग्रस्त भूमि को लेकर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2–1/2 हक व हिस्सा निहित है।

उन्होनें आगे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि के बाबत् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें अपीलांट् द्वारा काऊण्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया, जिसे अदालत मातहत द्वारा स्वीकार करते हुए अपीलांट् को वादग्रस्त भूमि का 1/2 हक व हिस्से का खातेदार काश्तकार धोषित किया गया था। उक्त आदेश की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि वे प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। न्यायालय हाजा के आदेशों के अनुसरण में अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य वादपत्र वर्तमान में विचाराधीन चल रहा है, जिसमें पक्षकारों के अधिकारों की धोषणा होनी शेष है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके पुत्रों द्वारा अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने के अमादा होने पर अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील के माध्यम से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र विधि विरूद्व तरीके से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि पूर्व में राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 23–01–2003 को खारिज कर दी गई है तथा इसी के साथ अंकित किया गया कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है। अतः धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किया जाता है। अदालत मातहत की उक्त व्याख्या प्रकरण के मद्देनजर विधि विरूद्व की गई व्याख्या है, क्योंकि अदालत मातहत के समक्ष यह स्पष्ट था कि सुगनी बेवा शिवलाल के स्वर्गवास के उपरान्त आराजी जैर सोनी बेवा धर्माराम के नाम हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत जाकर दर्ज की गई है। प्रकरण में जब तक इस तथ्य का निर्धारण नहीं हो जाता तब तक आराजी जैर को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया गया कि अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व वादग्रस्त भूमि के बाबत् किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। जबकि प्रस्तुत प्रकरण में यह आवश्यक था कि वादग्रस्त भूमि को लेकर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

पक्षकारों के कब्जे काश्त की जॉच की जावे। अपीलांट् वादग्रस्त भूमि पर विधिवत काबिज काश्त है। ऐसीस्थिति में यदि अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट् को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल किया जाता है तो उसकी अपूरणीय क्षति अपीलांट् को कारित होगी। प्रकरण में चूंकि पूर्व में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का काऊण्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादग्रस्त भूमि का 1/2 हक व हिस्से का खातेदार धोषित किया जा चुका था। ऐसीस्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत का आदेश जैर अपील में यह अंकित किया जाना कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं होता है, विधि विरूद्व की गई व्याख्या है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा खोलेनाम/वसीयत के निर्धारण का प्रश्न है, उक्त खोलानामा हिन्दु एडपशन एक्ट की धारा 10 के विपरीत होना स्पष्ट रूप से साबित होता है, क्योंकि हिन्दु एडपशन एक्ट में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि 15 वर्ष से अधिक की आयु के व्यक्ति को बतौर खोलानामा स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रकरण में सोनी देवी ने अप्राथी के खोलेनामा लिये जाने के समय अप्रार्थी की आयु 22 वर्ष थी। ऐसी स्थिति में उक्त खोलानामा हिन्दु एडपशन एक्ट के प्रावधानों के विपरीत होने से शून्य गोदनामा है एवं उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज इंतकाल स्वमेव ही शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है।

उन्होनें आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अदालत मातहत के समक्ष परपिचुअल इन्जेक्श का दावा प्रस्तुत किये जाने पर मौके की जॉच व मौका कमिश्नर की रिपोर्ट प्राप्त की गई थी। उक्त रिपोर्ट में अपीलांट् कुम्भाराम का कब्जा माना गया है। इसी स्थिति में प्रकरण में यह साबित है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट् का 1/2 हिस्से पर कानूनी रूप से अधिकार बनता है तथा जिसके अधिकारों की धोषणा होनी शेष है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को इसी आधार पर रिमाण्ड किया गया है कि खोलेनामा/वसीयत के बाबत् तनकीयात् कायम करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। इसी स्थिति में अदालत मातहत को मात्र खोलेनामा/वसीयत के आधार पर तनकीयात् कायम करते हुए निर्णय पारित किया जाना शेष है। जब तब

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

खोलेनामा/वसीयत के आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिकारों की धोषणा नहीं हो जाती तब तक वादग्रस्त भूमि अकेले रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज होना व उसके आधार पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये इंतकाल स्वमेव शून्य हो जाते है।

अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष तमाम दस्तावेजी साक्ष्य अपने कथन के समर्थन में कानूनी नजीरें प्रस्तुत की गई थी, परन्तु अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए किसी भी कानूनी नजीरों का खुलासा अपने निर्णय में नहीं किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत रेस्जूडिकेसा का प्रश्न है, उक्त प्रश्न अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु के निर्धारण पर लागू नहीं होता है क्योंकि जब अदालत मातहत द्वारा पूर्व में वादपत्र को निर्णित किया जा चुका था, ऐसीस्थिति में धारा 212 आरटीए के तहत पारित निर्णय स्वमेव दावे के निर्णय में निहित हो जाते है। अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि दौराने दावे वादग्रस्त भूमि को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो तथा पक्षकारों के कब्जे काश्त की सुरक्षा एवं संरक्षणा की जा सके। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सभी तथ्य प्रस्तुत/साबित होने के बावजूद भी अदालत मातहत द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अपीलांट् का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। दौराने वादपत्र यदि वादग्रस्त भूमि के अस्तित्व में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में वादपत्र प्रस्तुत करने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1978 पेज 256, पेज 599, आरबीजे 2006 पेज 671, एआईआर 1957 पटना पेज नंबर 92 पैरा नंबर 1, आरआरडी 1989 पेज 598, आरबीजे 1995 पेज 476 , आरबीजे 2000 पेज 483, आरआरटी 1982 पेज 673, आरआरडी 1992 पेज 1910, के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 206/142 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा खसरा नंबर 213/144 रकबा 65 बीघा 17 बिस्वा खसरा नंबर 266/131 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा तथा खसरा नंबर 333/76 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा कुल तादादी 171 बीघा 6 बिस्वा भूमि ग्राम लालासर का ईतंकाल शिवलाल पुत्र खुमाराम मेघवंशी की मृत्यु के पश्चात् उसकी एक मात्र वारिस बेवा श्रीमती सुगनी के नाम दर्ज हुआ तथा धर्माराम पुत्र खुमाराम के कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 108 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नंबर 208/142 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा खसरा नंबर 368/125 रकबा 30 बीघा 8 बिस्वा कुल 76 बीघा 16 बिस्वा भूमि का इंतकाल धर्माराम के फौत होने पर उसकी एकमात्र वारिस बेवा सोनीदेवी के नाम दर्ज हुआ। सुगनीदेवी बेबा शिवलाल की मृत्यु के बाद उसकी भूमि का इंतकाल सोनीदेवी बेवा धर्माराम के नाम दर्ज हुआ जो मृतका सुगनीदेवी की एकमात्र जायज वारिस थी। इस प्रकार कुल 248 बीघा 12 बिस्वा भूमि सोनीदेवी के नाम दर्ज हुई। सोनी देवी ने अपने जीवन काल में प्रार्थी को खोले लेकर अपनी समस्त चल अचल संपति, कृषि भूमि जरिये खोलेनामा/वसियत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में कर दी। सोनीदेवी का स्वर्गवास हो चुका है स्वर्गवास के पश्चात कुल भुमि 248 बीघा 12 बिस्वा भूमि का इन्तकाल वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हो चुका है और वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। प्रार्थी नंबर 01 सायल का बडा भाई है मृतका सोनी देवी ने अपने जीवन काल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खोले लेने व अपनी चल अचल संपति कृषि भूमि अप्रार्थी नंबर के हक में वसीयत करने से सख्त नाराज हो गये तथा येन केन प्रकरेण अप्रार्थी को परेशान व तंग करने लगे तथा कथन करने लगे की मृतका सोनी ने तुम्हे खोले लेकर वसीयत कर जो कृषि भूमि दी उसमें एक बडा हिस्सा 65 बीघा बिस्वा है जिसके खसरा नंबर 219/144 है जो हमारे नाम कर दे अन्यथा औंरतों को आगे कर जबरब खेत पर कब्जा कर लिया जायेगा तथा औरतों को हाथ लगाने का झूठा मुकदमा कर फसाया जायेगा।

विद्वान अभिभाषक ने आगे कथन किया कि खोलानाम कतई विधि विरूद्ध नहीं है ना ही खोलेनामे के आधार पर दर्ज इंतकाल विधि विरूद्ध है ना ही वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी का 1/2–1/2

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हिस्सा है और नाही उक्त हिस्से पर प्रार्थी काबिज काश्त है। प्रार्थी द्वारा किये गये समस्त कथन गलत झूठ व मनगड़त है ताकि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष झूठे बयान कर उक्त कृषि भूमि पर स्थगन आदेश प्राप्त कर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त कर सके। प्रार्थी का कतई पृथम दृश्टया मामला साबित नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है। अप्रार्थी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि का रिकॉडेड खातेदार है तथा उसका पृथम दृष्टया मामला है यदि रिकॉडेड खातेदार की कृषि भूमि कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी कि जाती है तो प्रार्थी के मुकाबले अप्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी।

विद्वान अभिभाषक ने बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया सोनी देवी ने अपने जीवनकाल में अप्राथी के खोले लेकर अपनी समस्त चल अचल संपति कृषि भूमि आदि की वसीयत अप्रार्थी/ वादी के हक में कर दी थी। रजिस्टर्ड खोलानाम मय वसीयत दिनांक 11–07–1989 उप पंजीयक नोखा के यहां पंजीबद्धशुदा है सोनी देवी की मृत्यु के बाद अप्रार्थी/वादी ही उनका एकमात्र जायज वारिस खोलानाम व वसीयत के आधार पर हुआ तब से वादगत कृषि भूमि निरन्तर रूप से अप्रार्थी/वादी के कब्जे काश्त में है तथा उसी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया जिसके विरूद्ध प्रार्थी कुम्भाराम द्वारा न्यायालय हाजा में अपील पेश की गई जो निर्णय दिनांक 23–01–2003 को खारिज फरमाई गई एवं अप्रार्थी के पक्ष में स्थगन आदेश 02–02–2001 को कायम रखा गया। ऐसीस्थिति में अपीलांट् द्वारा पुनः उन्हीं तथ्यों के आधार पर अदालत मातहत के समक्ष धारा 212 आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना स्पष्ट रूप से रेसज्यूडिकेसा से प्रभावित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्तमान में तमाम राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार दर्ज है तथा विधि का यह सुविस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। प्रकरण में चूंकि अपीलांट् के अधिकारों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र होना शेष है ऐसी स्थिति में बिना दस्तावेजी साक्ष्यों के अपीलांट् के हक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन साबित नहीं है। यदि

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन किया जाता है तथा अपीलांट् द्वारा रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को उसके कब्जे काश्त में दखंलदाजी की जाती है तो उसकी अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को कारित होगी।

उन्होनें आगे कथन किया कि अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र न्यायालय हाजा के रिमाण्ड आदेश वर्ष के अनुसरण में जैरकार चल रहा है, अपीलांट् द्वारा इतनी लम्बी अवधि तक किसी प्रकार का कोई प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया व वर्ष 2022 में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिससे साबित होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त है। प्रकरण में जहॉ तक खालेनामें की वैधता का प्रश्न है, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् का यह कथन कि 15 वर्ष तक की आयु की अवधि तक की खोला लिया जा सकता है, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि मु. सोनी द्वारा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बचपन में ही रिति रिवाज के अनुसार रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 11—07—1989 के आधार पर गोद लिया गया था, इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत डब्ल्यूएलएन पार्ट I पेज 41 वा एआईआर 2007 एससी पेज 268 में स्पष्ट रूप से अभिलिखित किया गया है कि बीकानेर जिलें में शादीशुदा व्यक्ति को, 15 वर्ष से अधिक को भी गोद लिया जा सकता है। प्रकरण में वैसे भी अपीलांट् द्वारा उठाई उक्त आपत्तियो का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वादपत्र में होना शेष है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में इन तथ्यों का निर्धारण नहीं किया जा सकता ना ही इस संबंध में किसी प्रकार का कोई विवेचन ही किया जा सकता है। चूंकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वर्तमान में वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, ऐसी स्थिति में मात्र एक पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपील को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष पुनः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत विधि सम्मत तरीके से यह पाये जाने पर कि पूर्व में न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21—03—2003 के माध्यम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

से अपीलांट् की अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में नहीं मानते हुए अपीलांट् द्वारा नये सिरे से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी बहस के समर्थन में 2020 (1) सीसीसी पेज 145, आरबीजे 2014–15 सप. पेज 285, आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 633, आरआरटी 2006 पार्ट II पेज 141, सीसीसी 1995 पार्ट II पेज 258 सुर्पीम कोर्ट, सीसीसी 1996 पार्ट II पेज 22, सीसीसी 2010 पार्ट I पेज 791 सुर्पीम कोर्ट, डीएनजे 2011 सुर्पीम कोर्ट पेज 81, डब्ल्यूएलसी पेज 442, डीएनजे 1995 पेज 640, आरएलडब्ल्यू पार्ट II 2010 पेज 1067, सीसीसी 1989 पेज 144 दिल्ली, डीएनजे 2001 सुर्पीम कोर्ट पेज 326, डब्ल्यूएलएन 1970 पार्ट I पेज 41, डब्ल्यूएलएन (यूसी) पेज 42, आरएलडब्ल्यू 1955 पेज 124, एआईआर 1991 सुर्पीम कोर्ट पेज 1180, आरआरडी 1991 पेज 426, सीसीसी 2017 पार्ट I पेज 555, सुर्पीम कोर्ट 2006 पेज 3227, सीसीसी 2016 पार्ट II पेज 361, एआईआर 1978 आन्ध्रप्रदेश पेज 30, एआईआर 1956 पटना पेज 271, आरएलडब्ल्यू 1995 पार्ट II पेज 566, डब्ल्यूएलएन 2014 पार्ट चार पेज 260, सीजे (सिविल) राज 2016 पार्ट III पेज 1607 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वारा वादगत् भूमि वादगत् भूमि वाके तहसील नोखा के ग्राम लालासर के खेत खसरा नम्बर 206/142 रकबा 42 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 219/144 रकबा 65 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 266/131 रकबा 16 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 333/76 रकबा 47 बीघा 4 बिस्वा कुल रकबा 171 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्व. शिवलाल पुत्र खुमाराम के दर्ज खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही एवं इसी प्रकार ग्राम

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

लालासर के खेत खसरा नम्बर 108 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 208/142 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 368/125 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा कुल 76 बीघा 19 बिस्वा भूमि जिसके नये खसरा नम्बर 315 तादादी 3. 27 हेक्टर, खसरा नम्बर 366 तादादी 4. 2100 हेक्टर, खसरा नम्बर 369 तादादी 9.600 हेक्टर, खसरा नम्बर 370 तादादी 1.0500 हेक्टर, खसरा नम्बर 380 तादादी 0.1000 हेक्टर, खसरा नम्बर 381 तादादी 7.1800 हेक्टर, खसरा नम्बर 384 तादादी 0.4100 हेक्टर, खसरा नम्बर 393 तादादी 0.1100 हेक्टर, खसरा नम्बर 394 तादादी 0.3500 हेक्टर, खसरा नम्बर 395 तादादी 13.4500 हेक्टर, खसरा नम्बर 396 तादादी 1.3000 हेक्टर, खसरा नम्बर 397 तादादी 0. 1800 हेक्टर, खसरा नम्बर 418 तादादी 1.9500 हेक्टर, खसरा नम्बर 419 तादादी 6.5100 हेक्टर, खसरा नम्बर 499 तादादी 0.2600 हेक्टर, खसरा नम्बर 704 तादादी 0.1000 हेक्टर, खसरा नम्बरा 705 तादादी 11.1200 हेक्टर, खसरा नम्बर 707 तादादी 0.7000 हेक्टर, खसरा नम्बर 710 तादादी 0.0200 हेक्टर, खसरा नम्बर 863/400 तादादी 1.0000 हेक्टर कुल खसरा नम्बर 20 तादादी 62.8700 हेक्टर भूमि के बाबत् अस्थाई निषेघाज्ञा प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम रेस्पोडेंट संख्या 1 की आपत्ति भी अपीलांट द्वारा पूर्व में निर्धारित अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के बावजूद पुनः अदालत मातहत के समक्ष उन्ही तथ्यों के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया जो सीपीसी की धारा 11 रेस्ज्यूडिकेसा से प्रभावित है। इस संबंध में न्यायालय का मत है कि चूंकी न्यायालय हाजा द्वारा वाद–पत्र के विरूद्ध प्रस्तुत अपील वर्ष 2009 में अधिनस्थ न्यायालय को इस आधार पर प्रतिप्रेषित की गई थी कि खोलानामा/वसीयत पर तनकीयात कायम करते हुए पुनः निर्णय पारित करे। चूंकी पूर्व में न्यायालय के समक्ष धारा 212 आरटीए के तहत अपील प्रस्तुत हुई थी जो कि वर्ष 2003 में न्यायालय हाजा द्वारा खारिज की गई थी।प्रकरण में जब मूल दावे का ही निस्तारण हो चुका था तो एसी स्थिति में धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर पारित तमाम निर्णय दावे के निर्णय में समाहित हो जाते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि की सूरक्षा संरक्षणा एवं अपने कब्जे को सुरक्षित रखने के लिए प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र रेस्ज्यूडीकेसा से प्रभावित नही माना जा सकता ऐसी स्थिति में अपीलांट की रेस्ज्यूडिकेसा के बिन्दू पर उठाई गई आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

प्रकरण में जहा तक गुणावगुण का प्रश्न है वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारों के मध्य लम्बी अवधि से विवाद न्यायालयों में जैरकार रहा है, वादग्रस्त भूमि को लेकर पूर्व में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने समक्ष विचाराधीन वादपत्र के निर्णय में अपीलांट को 1/2 हक व हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया गया था। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट् के पक्ष में साबित होता है। चूंकि प्रकरण न्यायालय हाजा के आदेशों के अनुसरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन चल रहा है जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के अधिकारों का निर्धारण होना शेष है विधि की यह मंशा रही है कि जंहा पक्षकारों के मध्य हक व हकूकों का निर्धारण जरिये वाद पत्र होना शेष हो तो ऐसी स्थिति में दावा दायरी के दिन की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति रखी जावें ताकि पक्षकारों के मध्य अनावश्यक तनाव, मौके की स्थिति में किसी प्रकार का परिवर्तन व वादग्रस्त भूमि को दिगर व्यक्तियों को बेचान से बचाया जा सके। प्रस्तुत प्रकरण में भी पक्षकारों के मध्य हक व हकुको का निर्धारण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह दायित्व हो जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि की दावा दायरी के दिन की स्थिति की सुरक्षा व संरक्षणा कायम रखें। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए न्याय की उक्त मंशा को ध्यान में नहीं रखा गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील पुष्टि योग्य आदेश की श्रेणी में नहीं आता है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, नोखा का आदेश दिनांक 18–10–2022 निरस्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वादपत्र के निर्णय तक उभय पक्ष मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें।

9. निर्णय आज दिनांक 24-1-23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

24-1-2023

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर